

# ग्राम पंचायत के संबंध में महात्मा गाँधी का विचार: एक अध्ययन

## कार्तिक कुमार

शोध-छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग ए मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

### परिचय

महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पुरातन काल के ग्राम व्यवस्था पर आधारित थी। पुरातन काल में ग्राम स्वावलम्बी होते थे तथा ग्राम व्यवस्था व आपसी विवादों का निपटारा पंचायतें ही करती थीं। यद्यपि महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज तथा ग्राम गणराज्य की अवधारणा पुरातन काल के गॉवों से प्रेरित थी किन्तु उनके आधुनिक आदर्श ग्राम की संकल्पना तथा ग्रामों की आदर्श आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के विचार और सिद्धान्त स्वयं उनके थे जो अमल में लाए जाने वाले योग्य व्यवहारिक थे। गाँधीजी ने जर्मींदारी व्यवस्था, छुआछूत, अशिक्षा के कारण गॉवों की दुर्दशा देखी थी। इसलिए गाँधीजी ग्रामों का विकास ग्राम स्वराज के माध्यम से चाहते थे। वे चाहते थे कि ग्राम स्वावलम्बी बने तथा ग्राम का हर परिवार भी स्वावलम्बी हो। ग्राम स्वराज के कार्यक्रमों में चरखा व करघा, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, सहकारी खेती, ग्राम पंचायत एवं सहकारी संस्थाएं, राजनीति एवं आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, छुआछूत निवारण, मद्यनिषेध, बुनियादी शिक्षा आदि प्रमुख थे।

गाँधीजी के ग्राम गणराज्य की संकल्पना एक प्रकार से पंचायती राज की संकल्पना थी। इस प्रकार वे पंचायती राज चाहते थे। ग्राम पंचायत के पॉच पंच ग्रामवासियों द्वारा चुने जाएंगे। इन्हीं पंचों द्वारा ग्रामवासियों के समस्त आपसी विवाद का निपटारा किया जाएगा तथा कोई भी विवाद शहरी न्यायालय में नहीं जाएगा।

गॉव के प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम पंचायतों में अटूट विश्वास था, परंतु पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में ऐसा दौर भी आया जब लोग इस व्यवस्था से कटते चले गए और इस व्यवस्था की प्रतिष्ठा एक तरह से कम हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गॉवों के नव निर्माण की जरूरत को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने समझा। समाज में पहले और आखिरी व्यक्ति के बीच बढ़ती खाई को कम करने के लिए गाँधी ने पंचायती राज व्यवस्था को कायम करने का महत्व दिया।

महात्मा गाँधी का कहना था कि अगर हिन्दुस्तान के हर एक गॉव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा। जिसमें सबसे पहला और सबसे आखरी व्यक्ति दोनों बराबर होंगे या यूं कहिए कि ना तो कोई पहला होगा न आखरी। स्वतंत्र भारत में पंचायतों की पुनः स्थापना को श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को ही जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का भी यही मत था कि पंचायतें जहां तक संभव हो, निर्विरोध तथा सर्वसम्मति से चुनी जायें और गॉव का प्रशासन उन्हीं से चलाया जाए।

गाँधीजी चाहते थे कि हर ग्रामवासी को स्वयं के परिवार के लिए सुविधायुक्त मकान हो, ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल, बुनियादी शिक्षा व प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो तथा हर ग्रामवासी को चाहे उसका उसका धर्म, जाति, पंथ कुछ भी क्यों न हो बराबरी का सम्मान मिले। गॉव में छुआछूत का कोई स्थान नहीं हो। जहां तक ग्रामवासियों को आरामदायक जीवनयापन हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने का सवाल है सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। अंग्रेजों के शासनकाल में जर्मींदारों द्वारा शोषित गॉव और आधुनिक गॉव में बहुत बदलाव आ चुका है। किंतु आज के ग्राम गाँधीजी के स्वावलम्बी गॉव से दूर नगरों पर परावलम्बी होते जा रहे हैं। गॉवों में मदिरा की खपत बढ़ती जा रही है। दूसरे, ग्राम पंचायतें एवं नगर पंचायतों के चुनावों में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने से दलीय आधार पर गुटबाजी बढ़ गई है।

इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए गाँधीजी ने सत्याग्रह मंत्र दिया था। राजनीतिक दलों पर दबब बनाना होगा कि ग्राम पंचायतों एवं नगरीय पंचायतों के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए इसके लिए सभी दल आकर स्वयं ही आचार संहिता बनाकर उसका पालन करें। महात्मा गाँधी आधुनिक भारत में स्वावलम्बी ग्राम एवं ग्राम स्वराज चाहते थे यह भी सत्याग्रह के माध्यम से संभव है। इसके लिए ग्रामवासी अपने ग्राम या आस-पास के गॉवों के ग्रामोद्योगों एवं कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ही हर संभव प्रयोग करेंगे इसकी शपथ लें। ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा की विशेष बैठक में पारित करवा कर स्वयंसेवी संगठनों या ग्राम के ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा घर-घर संपर्क शपथपत्र भरवाना होगा। इस प्रकार के स्वदेशी सत्याग्रह से ही ग्रामों का स्वावलंबन संभव हो सकता है। विदेशों से आयातित वस्तुओं के बहिष्कर का आन्दोलन भी चलाना होगा। उसी प्रकार गॉवों में महिलाओं की भागीदारी से मद्यनिषेध हेतु भी सत्याग्रह किए जाने से गाँधीजी के मद्यनिषेध के सपने को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार गाँधी का ग्राम स्वराज का सपना उन्हीं के सत्याग्रह मंत्र से साकार किया जा सकता है।

संविधान के 73 वाँ संशोधन द्वारा 243 वें अनुच्छेद एवं भाग 9 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को भी वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें कर राजस्व जुटाने के अधिकार के साथ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के कर राजस्व से भी हिस्सा मिलता है। स्थानीय निकायों का कार्य नागरिकों को पेय जल, सफाई व्यवस्था, सड़क, बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना रहता है इसमें दलगत राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए किंतु आजकल

अनेक राज्यों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव भी दलीय आधार पर होने लगे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इन संस्थाओं की बैठकों में भी दलीय आधार पर तकरार होती रहती है। ग्राम सभाओं की बैठकों में आत सहमति से ग्राम शांतिपूर्वक निर्णय लिए जाने की बजाय हल्ला—गुल्ला अधिक देखने को मिलता है। अनेक राज्यों की ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी धनबल, जनबल व शराब का उपयोग धड़ल्ले से होने लगा है।

### पंचायतों के संबंध में गौंधी दर्शन

- गौंधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गौव में ही बस गये थे। गौव की जरूरतें पूरी करने के लिये उन्होंने अनेक संस्थायें कायम की थीं और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया।
- उनका दृढ़ विश्वास था कि गौवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गौवों को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसे समझकर ही वे ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे।
- इसलिये संविधान में अनुच्छेद-40 के अंतर्गत गौंधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था की गई।
- गौंधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारंभ में ही उनके हाथों में दण्डकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ने के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिये ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है, जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह न लगे।
- प्रारंभ में यह आवश्यक है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जाए। गौवों में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है।
- गौंधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग कर्ये जाने से था।
- गौंधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सदभाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह संस्था गौव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है।

### पंचायती राज्य की सफलता में चुनौतियाँ

- पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूज आधार नहीं है उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है।
- कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है।
- कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
- क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं।
- इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकरणों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।

### पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने का गौंधीवादी उपाय

- पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये। पंचायती राज संस्थाएँ खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है।
- पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालकीय अधिकार दिये जाएँ और बजट आवंटन के साथ ही समय—समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकार द्वारा ई—ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है।
- महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक—से—अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके।
- पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिये।

- पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिये तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरुस्कृत करना चाहिये।

### समग्र विकास की गॉधीवादी योजना

गॉधीवादी दर्शन की सर्वोत्कृष्टता यह है कि बाजार को नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों को जीवन पर शासन करना चाहिए। करोड़ों लोगों की भीड़, गरीबों—दरिद्रनारायण की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। गॉधी विकास का मानवीय चेहरा प्रस्तुत करते हैं। गॉधीवादी योजना के निम्नलिखित मूल उद्देश्यों हैं।

- क्षमता विस्तार के लिए मानव विकास (नैतिक विकास सहित)।
- शारीरिक और बौद्धिक श्रम के माध्यम से संतुलित तरीके से विकास (शरीर, दिमाग और आत्मा का विकास)।
- समाजिक न्याय, अधिकार और स्वतंत्रा के साथ विकास (यह सामाजिक एवं मानव विकास के सिद्धांत के अनुरूप है)।
- ग्रामीण विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की प्राप्ति।
- अतिरिक्त आय और रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी में कमी।
- सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना।
- बाल मृत्यु दर को कम करना।
- मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना।
- पर्यावरणीय स्थिरता और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना।

### निष्कर्ष

महात्मा गॉधी ने अपने समग्र वैचारिक ज्ञान में पंचायतों पर भी प्रमुखता से चिंतन केन्द्रित किया था। ग्रामों की भावी दिशा कैसी हो इसके लिए एक सृदृढ़ पंचायती राज सोपान के गॉधीजी सदैव हिमायती रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पंचायतीराज की मूलभूत स्वरूप को अपने विचारों द्वारा प्रस्तुत भी किया है। वर्तमान समय में पंचायतों में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू कर लोकतंत्र की नीव को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी वर्तमान व्यवस्था में कुछ चुनौतियां हैं, जिससे निपटना आचरणशक्त है। भष्टाचार, बेराजगारी, जनसंख्या वृद्धि मूल्य वृद्धि आदि चुनौतियों को समाप्त करने की आवश्यकता है तभी सच्चे अर्थों में ग्राम स्वराज की सार्थकता सिद्ध होगी।

### संदर्भ ग्रंथ सूची –

- चोपड़ा, प्राण (2003)—“पंचायतीराज पर बादल”, द हिन्दु, सितम्बर।
- अहुजा राम (1993) — “भारतीय सामाजिक व्यवस्था” नई दिल्ली, रावत प्रकाशन।
- देसाई, वसंत (1980) — “लोगों को पंचायती राज सत्ता” बोम्बे, हिमालय कप्पनी प्रकाशन।
- भारतीय कानून (2005) — “समानांतर पंचायती राज संस्थान” इण्डलॉकॉम।
- माहेश्वरी, एस.आर. (1985) — “भारत में ग्रामीण विकास”, नई दिल्ली, ऋषी प्रकाशन।
- मैथ्यू, जॉर्ज (2002) “पंचायती राज के दुश्मन” द हिन्दु, जनपरी।
- राष्ट्रीय आयोग (2001) “विकेन्द्रीकरण (पंचायती) के लिए संवैधानिक प्रावधान की समीक्षा, नई दिल्ली, सितम्बर।
- पढ़ी, किशोर चंद्रा (1986) “आधुनिक भारत में ग्रामीण विकास” नई दिल्ली, वी. आर. प्रशासन।
- रेड्डी, राम (2005) “भारत में पंचायती राज की ढांचा” हेरिटेज प्रकाशन, दिल्ली।
- देसाई वसंत (2005) “पंचायती राज लोगों की शक्ति” हिमालय प्रकाशन हाउस।
- अलघ, वाई. के (2002) “भारत में पंचायती राज और योजना: भागीदारी संस्थान और ग्रामीण सङ्गठन, नई दिल्ली एशियाई परिवहन विकास संस्थान।”
- गुप्ता डी.एन (2004) — “सुधार के लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता, दिल्ली, संकल्पना प्रकाशन।
- एस.एन.मिश्रा, श्वेता मिश्रा, चेताली पाल, 2000, विकेन्द्रीकरण मित्तल प्रकाशन, ए-110, मोहन गार्डन, नई दिल्ली।
- “भारत के राज्यों और संघ के राज्यों में पंचायती राज का स्थान” 2000, सामाजिक विज्ञान संस्थान।
- अंजना चौधरी (2004) — “ग्रामीण समाज विज्ञान, मुख्य प्रकाशक और वितरक, 116/ए, दक्षिण अनारकली, नई दिल्ली।
- बी.पी.जोशी और जी.एस.नरवानी, 2002, “भारत में पंचायती राज, रावत प्रकाशन, जयपुर

वेब लिंक –

1. [Https://book/google.con.in/book-panchayati/rajinstitutions](https://book/google.con.in/book-panchayati/rajinstitutions)
2. [Https://www.epustakalay.com](https://www.epustakalay.com)
3. [Https://www.researchgate.com](https://www.researchgate.com)
4. [Https://www.book.google.co.in](https://www.book.google.co.in)
5. [Https://www.cabdirect.com](https://www.cabdirect.com)
6. [Https://www.yourarticle.liabrary.com](https://www.yourarticle.liabrary.com)
7. [Https://www.legalserviceindia.com](https://www.legalserviceindia.com)
8. [Https://www.journalcra.com](https://www.journalcra.com)
9. [Https://www.nalanda .nic.in](https://www.nalanda .nic.in)